गवाही देना

आपराधिक मुकदमों में
युवाओं के लिए पुस्तिका

गवाही देना

आपराधिक मुकदमों में
युवाओं के लिए पुस्तिका

स्प्रिंगबर्न (Springburn) के एलबर्ट प्राइमरी स्कूल (Albert Primary School) और पॉलॉकशील्ड्स (Pollokshields) के ग्लेनडेल प्राइमरी स्कूल (Glendale Primary School) के बच्चों को विशेष धन्यवाद।

चित्रः एलेनर मेरेडिथ (Eleanor Meredith),
डनकन जॉर्डनस्टोन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन (Duncan of Jordanstone College of Art and Design),
यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी (University of Dundee)

स्कॉटिश प्रशासन (Scottish Executive) के लिए ऐस्ट्रन (Astron) B41391 06/05 द्वारा निर्मित
स्कॉटिश प्रशासन (Scottish Executive) द्वारा प्रकाशित, जून, 2005
यह दस्तावेज़ 100% पुनरुत्पादित कागज पर मुद्रित है और 100% पुनःप्रयोग्य है।

विषय–सूची

01 परिचय

02 गवाह क्या है?

04 गवाह बनने के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं?

06 आपकी मदद कौन कर सकता है?

08 आपके अदालत में जाने से पहले क्या होता है?

09 अदालत

10 अदालत में कौन–कौन होते हैं और उनके काम क्या हैं?

12 मुकदमा – आपको क्या करना है

14 अदालत को बताना कि आप क्या जानते हैं

16 अदालत में किसी की पहचान करना

17 आपको गवाही देने में मदद के लिए विशेष उपाय

18 टेलीविजन लिंक का प्रयोग करना

20 ओट (स्क्रीन) का प्रयोग करना

22 सहायक व्यक्ति का उपयोग करना

23 आपको गवाही देने में मदद के अन्य विशेष उपाय

24 कोई विशेष उपाय चुनना

25 अदालत में जाना

26 गवाही देने के लिए प्रतीक्षा करना

27 आपके गवाही देने के बाद क्या होता है?

28 सहायता माँगने की याद रखें

30 प्रश्न?

31 क्या आपके कोई और प्रश्न हैं?

32 शब्दावली – इन शब्दों का अर्थ क्या है?

परिचय

आपको यह पुस्तिका इसलिए दी गई है क्योंकि आप अदालत में एक मामले में गवाही देने जा रहे हैं।

संभवतः आपको इस बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ है।

कुछ लोग गवाह बनने के लिए कहे जाने पर चिंतित होते हैं।

कुछ लोग यह नहीं जानते कि गवाह बनना क्या होता है।

यह पुस्तिका आपको गवाह बनने के बारे में अधिक जानकारी देगी और कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेगी।

अदालतें अक्सर ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं जिन्हें शायद आपने पहले न सुना हो। उन्हें समझाने में आपकी मदद के लिए इस पुस्तिका के अंत में ऐसे कुछ शब्दों की सूची दी गई है।

गवाह क्या है?

गवाह वह व्यक्ति है, जो हो सकता है कुछ महत्त्वपूर्ण बातें जानता हो।

हो सकता है, आपने किसी अपराध के बारे में कुछ देखा या सुना हो या शायद आप खुद किसी अपराध के शिकार हुए हों।

शायद आपने पुलिस या किसी वकील से बात की है, और उन्हें बताया है कि आप क्या जानते हैं। इसे बयान देना कहते हैं।

जब पुलिस सभी बातों की जाँच कर लेती है, तब वह प्रोक्योरेटर फिस्कल (procurator fiscal) के पास अपनी रिपोर्ट भेजती है। प्रोक्योरेटर फिस्कल एक वकील है, जिसका काम है यह फैसला करना कि यह मामला अदालत में भेजा जाये या नहीं।

इसके बाद आपको अदालत को यह बताना पड़ सकता है कि इस बारे में आप क्या जानते हैं। इसे आपकी 'गवाही' कहा जाता है।

एक बार जब आप और अन्य गवाह अपनी गवाही दे चुकते हैं, तब यह फैसला किया जा सकता है कि क्या किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है (या कानून तोड़ा है)।

यह फैसला अदालत केवल आप जैसे गवाहों से मिलने वाली सूचनाओं की मदद से ही कर सकती है।

गवाह बनने के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं?

बहुत से लोग गवाह होते हैं, इसलिए आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप अकेले हैं।

गवाह बनना बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह सच बोलना ही है।

कुछ लोग गवाही देने या अदालत में जाने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। चिंता न करें। आपकी मदद के लिए बहुत से बातें हैं, जो की जा सकती हैं।

आपको एक पत्र या एक सरकारी संदेश मिला होगा, जिसमें वह तारीख और समय दिया होगा जब आपकी गवाह के रूप में जरूरत पड़ेगी।

यदि वह तारीख़ आपके लिए कठिन होने का कोई महत्त्वपूर्ण कारण है, जैसे कि यदि आपको उस दिन स्कूल में कोई परीक्षा देनी है, तो आपको उसके बारे में, जितनी जल्दी हो सके वकील को बता देना चाहिए।

यहाँ कुछ बातें हैं, जिनके बारे में अन्य युवाओं ने पूछा है।

अदालत में क्या होता है?

अदालत में कौन–कौन होगा?

क्या मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, जिससे मुझे डर लगता है?

क्या मैं सुरक्षित रहूँगा?

क्या मैं अकेला रहूँगा?

क्या मैंने कुछ गलत काम किया है?

मैं अपने स्कूल में या अपने दोस्तों से क्या कहूँगा?

जब मैं गवाही दूँगा तो मेरी मदद कौन कर सकता है?

इस पुस्तिका में दी गई जानकारी से इन प्रश्नों के उत्तर पाने में मदद मिलेगी।

आपकी मदद कौन कर सकता है?

बहुत से ऐसे लोग हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं।

कभी–कभी दोस्तों से बात करने से मदद मिल सकती है, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो अपने परिवार या स्कूल में किसी से बात करना आपके लिए आसान हो सकता है।

कुछ अन्य लोग भी हैं, जिनका काम है आपकी मदद करनाः

पीड़ित सहायता के पास ऐसे स्वैच्छिक कार्यकर्ता होते हैं, जो अदालती मामला न होने पर भी, अपराध–पीड़ितों और कुछ गवाहों की मदद कर सकते हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता वह व्यक्ति है, जो उन लोगों के साथ काम करता है, जिन्हें अतिरिक्त सहायता की जरूरत हो। वह आपकी बात सुनेगा और आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेगा।

पुलिस अक्सर आपकी यह जानने में मदद कर सकती है कि क्या हो रहा है और आपके प्रश्नों के उत्तर देने की भी कोशिश करेगी।

प्रोक्योरेटर फिस्कल भी आपकी मदद कर सकते हैं। शायद आपने उनसे बात की थी, जब वे आपकी गवाही के बारे में आपसे सवाल पूछ रहे थे। वे आपको मुकदमे के बारे में बतायेंगे और समझायेंगे कि वहाँ क्या होगा।

वीआईए (VIA) कुछ गवाहों की मदद करने वाली सेवा है। वीआईए का अर्थ है – **Victim Information and Advice** यानी पीड़ित सूचना एवं परामर्श। वीआईए से जुड़े लोग प्रोक्योरेटर फिस्कल के साथ मिलकर काम करते हैं और गवाही देने वाले अधिकतर लोगों को जानकारी और सलाह देते हैं। शायद वीआईए के ही किसी व्यक्ति ने आपको यह पुस्तिका भेजी है। उन्होंने आपको अदालत के बारे में भी कुछ पुस्तिकायें भेजी होंगी और क्या हो रहा है, इसके बारे में बराबर आपके प्रश्नों के उत्तर की कोशिश करेंगे।

वकील ने शायद आपसे गवाही देने को कहा होगा। आप उनसे भी कह सकते हैं कि वे आपकी मदद करें।

गवाह सेवा भी आपकी मदद कर सकती है। प्रत्येक शेरिफ अदालत और हाईकोर्ट में एक गवाह सेवा होती है। गवाह सेवा के लोग सभी गवाहों और उनके परिवार के लोगों को सहायता और समर्थन देते हैं। हो सकता है कि आप फोन पर उनसे बात कर चुके हों या अदालत आने पर उनसे मिल चुके हों।

आपके अदालत में जाने से पहले क्या होता है?

हो सकता है, प्रोक्योरेटर फिस्कल या वकील आपसे प्रश्न पूछना चाहें। इसे प्री–कॉग्निशन (precognition) कहते हैं और इससे उन्हें सभी सबूतों की जाँच करने और अदालत के लिए मामला तैयार करने में मदद मिलती है।

वे आपको पत्र भेजेंगे, जिसमें आपको बताया जायेगा कि वे कब आपसे मिलना चाहते हैं। उनके पास जाते समय, आप अपने साथ और समर्थन के लिए किसी वयस्क व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं। प्रोक्योरेटर फिस्कल से पूछ लीजिए कि क्या मुलाकात के दौरान वह व्यक्ति आपके साथ बैठ सकता है।

हो सकता है, अन्य वकील भी आपसे बात करना चाहें और आप सोच लें कि आप उनसे कहाँ मिलना चाहेंगे। कुछ युवा चाहते हैं कि वकील उनके घर आयें; जबकि कुछ उनसे किसी कार्यालय में मिलना बेहतर समझते हैं। यह फैसला आप कर सकते हैं। आपको जो समय सबसे अधिक सुविधाजनक हो, वह भी आप बता सकते हैं। इस दौरान भी आपके साथ कोई व्यक्ति बैठ सकता है, बशर्ते वह खुद गवाह न हो।

जब प्रोक्योरेटर फिस्कल या अन्य वकील आपसे कोई सवाल पूछें तो हमेशा सच ही बोलें।

यह पुस्तिका पढ़ने के बाद भी हो सकता है आप कुछ प्रश्न पूछना चाहें। प्रोक्योरेटर फिस्कल या वकील उनके उत्तर देने की कोशिश करेंगे।

अदालत

पूरे स्कॉटलैंड में कई अदालतें हैं और वे अलग–अलग तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। आपराधिक या फौजदारी अदालतें उन मामलों की सुनवाई करती हैं, जिनमें किसी व्यक्ति पर कानून तोड़ने का आरोप लगाया जाता है।

अदालत के प्रभारी जज होते हैं। कुछ अदालतों में जज को 'शेरिफ' कहा जाता है।

वे यह सुनिश्चित करेंगे कि युवा गवाहों सहित सभी गवाह, जो कुछ जानते हैं, अदालत को बताने में समर्थ हों। जज आपकी 'गवाही' सुनेंगे और आमतौर पर इस बारे में अंतिम फैसला करेंगे कि कानून तोड़ा गया है या नहीं और उसके बाद क्या हो।

अधिकतर अदालतें ऐसी इमारतें हैं, जिनमें एक से अधिक अदालत के कमरे होते हैं।

अदालत में कौन–कौन होते हैं और उनके काम क्या–क्या हैं?

अदालत में जज या शेरिफ होते हैं। उनके काम का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि सब कुछ निष्पक्षता से हो और अदालत के नियमों का पालन किया जाये।

प्रोक्योरेटर फिस्कल या वकीलः वे लोग हैं जो सवाल पूछेंगे ताकि गवाह अपनी गवाही दे सकें। वे अदालत को अन्य सबूत, जैसेकि फोटो, भी दिखा सकते हैं।

क्लर्कः यह व्यक्ति अदालत के दस्तावेजों और रिकॉर्डों के लिए जिम्मेदार होता है।

कोर्ट ऑफिसर [जिसे कभी–कभी मेसर (macer) कहा जाता है]: यह व्यक्ति जज और अदालत में अन्य लोगों की मदद करने के लिए जिम्मेदार होता है। कोर्ट ऑफिसर गवाहों को यह भी बतायेगा कि उनकी गवाही देने की पारी कब है।

जूरीः कुछ मामलों में, यह फैसला जूरी करती है कि क्या कानून तोड़ा गया है। जूरी में 15 लोग होते हैं और मामला शुरू होने से पहले उन्हें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता। वे गवाही सुनेंगे और फैसला करेंगे कि क्या वाकई कानून तोड़ा गया है।

अभियुक्तः वह व्यक्ति है जिस पर कानून तोड़ने का अभियोग लगाया गया है। वह पूरे समय अदालत में रहेगा और सब कुछ देख और सुन सकता है।

जनताः आमतौर पर अदालतों के दरवाजे आम जनता के लिए खुले रहते हैं अतः संभव है कि अदालत में पीछे की ओर लोग बैठे हों जो गवाहों और वकीलों की बातें सुन रहे हों।

कोर्ट पुलिस या सुरक्षा अधिकारीः वे वहाँ रहकर सुनिश्चित करते हैं कि गवाह, अदालत के कर्मचारी और आम जनता सही व्यवहार करें और सुरक्षित रहें।

मुकदमा – आपको क्या करना है

जिस व्यक्ति पर अपराध करने का अभियोग है, यदि वह कह देता है कि वह दोषी है, तो हो सकता है कि आपको अदालत न जाना पड़े, प्रश्नों के उत्तर न देने पड़ें या गवाही न देनी पड़े।

यदि अभियुक्त कहता है कि वह दोषी नहीं है, तब हो सकता है कि मुकदमा चलाया जाये और तब आपका काम यह है कि आप अदालत को बतायें कि आप क्या जानते हैं।

जज को गवाही देने के लिए गवाहों की जरूरत होती है ताकि जो घटना हुई थी, उसका पूरा विवरण तैयार किया जा सके। गवाहों के बिना, जज, और कभी–कभी जूरी, यह नहीं जान पायेंगे कि क्या हुआ था और मामले के अंत तक किसी उपयुक्त फैसले तक नहीं पहुँच सकेंगे।

गवाह, एक–एक करके अदालत को बतायेंगे कि क्या हुआ था, या वे क्या जानते हैं। यही उनकी गवाही है।

आपको अपनी गवाही देने में मदद के लिए, आमतौर पर प्रोक्योरेटर फिस्कल और वकीलों द्वारा, आपसे सवाल पूछे जायेंगे। जज भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं।

प्रोक्योरेटर फिस्कल या वकील, आपके साथ या किसी और के साथ जो कुछ हुआ था, उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। या वे, आपने जो कुछ देखा या सुना हो, उसके बारे में पूछ सकते हैं।

आपको ध्यान से सुनना चाहिए और यथासंभव सही जवाब देने का प्रयास करना चाहिए।

गवाह के रूप में आपका काम है – सवालों का सच्चाई से जवाब देना और अदालत को बताना कि आप क्या जानते हैं।

कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं, जिनका उत्तर देना कठिन हो, या जिसमें कोई गोपनीय बात बतानी पड़े। कोई बात नहीं। याद रखें, अदालत अक्सर लोगों को निजी बातें करते हुए सुनती है और समझ सकती है कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। पूरा समय लें एवं सच बोलते रहें।

प्रोक्योरेटर फिस्कल और वकील आपकी बातों की जाँच करना चाहेंगे। हो सकता है कि आपने जो कहा है, उसकी जाँच करने के लिए वे कुछ सवाल दोहरायें। यह आम बात है। आपको सिर्फ यही सोचना चाहिए कि आप अदालत को सच बतायें।

अदालत को बताना कि आप क्या जानते हैं

जज और वकील नहीं जानते कि क्या हुआ था। आपको उनकी मदद के लिए अदालत को यह बताना है कि आप क्या जानते हैं।

इसे आसान बनाने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण बातें हैं।

- हर प्रश्न को **हमेशा ध्यान से सुनें।** प्रश्न का उत्तर दें लेकिन जल्दबाजी न करें।
- **स्पष्ट बोलें।** यदि आप साफ–साफ बोलेंगे तो जज आपको ठीक से सुन पायेंगे और आपसे बातें दोहराने को नहीं कहेंगे।
- बहुत–सी अदालतों में, जो कुछ होता है, उसे टेप पर रिकॉर्ड किया जाता है। यह भी एक कारण है कि आपको स्पष्ट बोलना चाहिए। इसका मतलब यह भी है कि **आप केवल सिर हिलाकर जवाब नहीं दे सकते। आपको जोर से बोलना पड़ेगा।**
- **आप अदालत को जो बताते हैं, वह आपकी अपनी गवाही है।** अदालत उसे आपके अपने शब्दों में सुनना चाहती है। **आपको क्या कहना है, इस बारे में किसी और को आपको नहीं बताना चाहिए।**

- **उत्तर देने से पहले सुनिश्चित करें कि आप समझ रहे हैं कि हर प्रश्न का क्या मतलब है।** यदि आप कोई शब्द–समूह या प्रश्न का कुछ हिस्सा नहीं समझ पा रहे हैं तो उनसे कहिये कि उसे **समझायें या दूसरे शब्दों में कहें।** अनुमान मत लगाइये। तब तक पूछते रहिये, जब तक कि निश्चित रूप से समझ न जायें।

- यदि आप किसी उत्तर के बारे में पक्के तौर पर नहीं कह सकते, या कोई बात याद नहीं कर सकते, तो वकीलों या जज से कह दीजिये। **अनुमान लगाने या उत्तर गढ़ने की कोशिश मत कीजिये।**

- **याद रखिये कि जो कुछ प्रोक्योरेटर फिस्कल या वकील कहते हैं, हर उस बात से आपका सहमत होना जरूरी नहीं है** और आपको केवल उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी नहीं कहना है। न तो आपको अपने मन से कोई बात गढ़नी है और न ही कुछ छोड़ना है।

- **सच बताना, आपका सबसे जरूरी काम है। हमेशा सच ही बोलें।**

अदालत में किसी की पहचान करना

आपके अदालत में जाने से पहले, शायद पुलिस ने आपसे उस व्यक्ति को दिखाने को कहा हो, जिसके बारे में आपने उसे बताया था। यदि आप ऐसा कर चुके हैं, तो शायद दोबारा अदालत में आपको यह करने को न कहा जाये।

लेकिन कभी–कभी, गवाहों से अदालत में उस व्यक्ति की पहचान करने को कहा जाता है, जिसके बारे में वे बात कर रहे होते हैं। आपसे कहा जा सकता है कि अदालत में चारों ओर देखकर बताइये कि क्या वह व्यक्ति वहाँ मौजूद है।

आप पूरा समय लीजिये और ध्यान से देखिये। यदि आप उसे देख सकते हैं, तो उसकी ओर इशारा कीजिये। यदि आप उसे न देखें, तो बता दीजिये।

यदि आप किसी व्यक्ति को अदालत में देखने के बारे में बहुत चिंतित हैं, तो प्रोक्योरेटर फिस्कल, या वकील या किसी और व्यक्ति को बताइये, जो आपकी मदद कर सकते हैं।

आपको गवाही देने में मदद के लिए विशेष उपाय

अदालत में गवाही देना हमेशा आसान नहीं होता, खासतौर पर युवाओं के लिए। वयस्क लोग इस बात को समझते हैं कि आपको चिंता हो सकती है। **कानून अदालत को यह अनुमति देता है कि वह गवाही देने में आपकी मदद के लिए आपको विभिन्न तरीके उपलब्ध कराये।**

प्रोक्योरेटर फिस्कल या वकील आपसे पूछेंगे कि क्या आप गवाही देने के लिए इनमें से कोई तरीका पंसद करेंगे:

- **अदालत में ओट (स्क्रीन) का प्रयोग**
- **अदालत की इमारत में अंदर किसी और कमरे से टेलीविजन लिंक का प्रयोग**
- **जब आप ओट या टेलीविजन लिंक का प्रयोग कर रहे हों, तब अपने साथ किसी सहायक व्यक्ति को रखना**

प्रोक्योरेटर फिस्कल, वकील, वीआईए (VIA), गवाह सेवा या सामाजिक कार्यकर्ता – ये सभी इन विभिन्न तरीकों के बारे में आपको बताने में मदद कर सकते हैं। **इन विभिन्न तरीकों को 'विशेष उपाय' कहते हैं।**

टेलीविजन लिंक का प्रयोग करना

आप अदालत में जाये बगैर, टेलीविजन लिंक का प्रयोग करके गवाह बन सकते हैं। यदि आप लोगों से भरी अदालत में जाने के बारे में चिंतित हैं तो यह आपकी मदद कर सकता है। **आप अदालत को अपनी गवाही देने के लिए इस टेलीविजन का प्रयोग कर सकते हैं।**

टेलीविजन लिंक का कमरा आमतौर पर उसी इमारत में होता है, जिसमें अदालत होती है। यह टेलीविजन अदालत से जुड़ा होता है, जहाँ जज और वकीलों के पास भी टेलीविजन और कैमरे होते हैं। जब उन्हें चालू कर दिया जाता है, तो **आप प्रश्न करने वाले व्यक्ति को देख और सुन सकते हैं लेकिन किसी और को नहीं देख सकते। अदालत में मौजूद हर व्यक्ति आपको देख और सुन सकेगा।**

टेलीविजन और कैमरे जज द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब वकील आपसे बोल रहे हों, तब भी जज आपको और आपके सहायक के रूप में उस कमरे में मौजूद दूसरे व्यक्ति को बराबर देख और सुन सकते हैं।

यदि आप टेलीविजन लिंक का प्रयोग करने का फैसला करते हैं, तो कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिएः

- जज और वकीलों को इस तरीके में भी बातें लिखनी पड़ती हैं और कभी–कभी इसमें काफी देर लगती है। यदि प्रश्नों के बीच लंबा अंतराल हो, तो चिंता न करें।

- कभी–कभी वकील मुड़कर जज या अदालत में अन्य लोगों से बातें करते हैं।

- कभी–कभी जज कैमरे को बंद कर देते हैं ताकि किसी कानूनी समस्या पर चर्चा की जा सके। यह आम बात है।

यदि आपको टेलीविजन या कैमरों में कोई समस्या दिखाई देती है, तो जज को बताना चाहिए। उदाहरण के लिए:

- यदि आपको वकील के चेहरे या सिर का केवल कुछ हिस्सा ही दिखाई दे;
- या यदि उनके बोलने पर, आप उनके प्रश्न ठीक से न सुन पायें।

यदि इसकी कोई ख़ास वजह है कि आप अदालत की इमारत में नहीं जा सकते, तो आप अदालत से दूर, किसी अन्य इमारत के कमरे से टेलीविजन लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसका अनुरोध कर सकते हैं।

ओट (स्क्रीन) का प्रयोग करना

कुछ लोग अपनी गवाही देने के लिए अदालत में जाना पसंद कर सकते हैं। आप ओट का प्रयोग करके भी गवाह बन सकते हैं। यदि आप अदालत में किसी व्यक्ति विशेष को देखने के बारे में चिंतित हैं, तो यह आपकी मदद कर सकता है।

अदालत में एक ओट लगाई जा सकती है, ताकि आपको उस व्यक्ति को देखना न पड़े। यह ओट एक परदे की तरह होती है जो कमरे को अलग–अलग हिस्सों में बाँट देती है।

आप उस व्यक्ति को नहीं देख सकेंगे, लेकिन तब भी आप जज, प्रोक्योरेटर फिस्कल, वकीलों, जूरी और अदालत के अन्य कर्मचारियों को देख सकेंगे।

यह ओट, आमतौर पर कैमरा के साथ इस्तेमाल की जाती है ताकि ओट की दूसरी तरफ बैठे, अभियुक्त सहित सभी लोग, आपको देख सकते हैं।

सहायक व्यक्ति का उपयोग करना

आप ओट या टेलीविजन लिंक के साथ–साथ एक 'सहायक व्यक्ति' भी ले सकते हैं। कुछ युवाओं को **अदालत में, अदालत के कमरे में या टेलीविजन लिंक के कमरे में पूरे समय अपने साथ किसी वयस्क सहायक व्यक्ति के बैठने से** सहायता मिलती है।

अदालत आपसे पूछेगी कि क्या आप ऐसा चाहते हैं और आपको यह सोच लेना चाहिए कि आपके साथ बैठने के लिए कौन सबसे उपयुक्त व्यक्ति होगा। आपका सहायक, गवाह सेवा का कोई व्यक्ति, किसी अन्य संगठन का कोई व्यक्ति, शिक्षक या कोई संबंधी भी हो सकता है।

यदि आपको ओट या टेलीविजन लिंक की जरूरत नहीं है, तो भी आप अदालत में अपने साथ किसी सहायक व्यक्ति को रखने का अनुरोध कर सकते हैं।

गवाही देने में मदद के अन्य विशेष उपाय

पूर्व बयान

जब आपने पुलिस या वकीलों से बात की थी, तब हो सकता है उसकी वीडियो या टेप पर रिकॉर्डिंग की गई हो। हो सकता है, आपने जो कुछ कहा था, पुलिस ने उसे लिख लिया हो। इन सब को पूर्व बयान कहा जाता है। अदालत में वकीलों और अन्य लोगों के आगे वह वीडियो या टेप चलाया जा सकता है या लिखे हुए नोट्स पढ़कर सुनाये जा सकते हैं।

यदि ऐसा होता है, तो आपसे कहा जा सकता है कि उन्हें देखें या सुनें। उसके बाद, आपने जो कहा था, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

आयोग में गवाही

नवंबर 2005 के बाद, कुछ मामलों में, प्रोक्योरेटर फिस्कल या वकील यह भी फैसला कर सकते हैं कि अदालत में बाकी मुकदमा शुरू होने से पहले आपको अपनी गवाही देने दी जाये। यदि मुकदमें में बहुत देर होने की संभावना हो, तो आपको इससे मदद मिल सकती है। यदि वे ऐसा करना चाहते हैं तो वे आपसे बात करेंगे और आपको समझायेंगे कि इसका क्या मतलब है और इससे आपको कैसे मदद मिलेगी।

अन्य बातें जो आपकी मदद कर सकती हैं

अदालत में कुछ लोग, आमतौर से, विग (नकली बाल) और अपने कपड़ों के ऊपर एक गाउन पहनते हैं। जब कोई युवा गवाही दे रहा हो, तब जज और वकीलों से कहा जा सकता है कि वे इन्हें न पहनें। यदि आप नहीं चाहते कि वे अपने विग और गाउन पहनें, तो किसी से कह दीजिये।

आमतौर पर, अदालत में जनता को आने की अनुमति होती है, लेकिन कभी—कभी जज जनता को बाहर जाने का आदेश दे सकते हैं, जब आप अपनी गवाही दे रहे हों। आपको प्रोक्योरेटर फिस्कल या वकील से इसके लिए कहना पड़ेगा।

विशेष उपाय चुनना

गवाही देने के लिए आने से पहले, अदालत को यह बताना जरूरी है कि आप किस विशेष उपाय का प्रयोग करना चाहते हैं।

यह बहुत आवश्यक है कि आप प्रोक्योरेटर फिस्कल या वकील को यह बतायें कि आप गवाह बनने के बारे में क्या सोचते हैं और किन बातों के बारे में चिंतित हैं।

तभी वे आपकी यह फैसला करने में मदद कर सकते हैं कि कौन–सा विशेष उपाय आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। वैसे इस पुस्तिका को पढ़ने से भी आप जान सकते हैं कि आप किस विशेष उपाय का प्रयोग करना चाहते हैं।

आप बिना किसी अतिरिक्त सहायता के भी गवाह बनना पसंद कर सकते हैं। हो सकता है, आप टेलीविजन लिंक या ओट का प्रयोग न करना चाहें।

इस बारे में आपको बहुत सावधानी से विचार करना चाहिए और स्थिति को पूरी तरह समझने के लिए और अधिक जानकारी माँगनी चाहिए।

याद रखें, अदालत आशा करती है कि सभी युवा लोगों को कुछ न कुछ सहायता दी जायेगी।

अदालत की तारीख पास आने पर आप यह भी फैसला कर सकते हैं कि गवाही देने के लिए आप कोई दूसरा तरीका ज्यादा पसंद करेंगे। प्रोक्योरेटर फिस्कल, वीआईए या वकील को इसके बारे में बताइये और वे आपसे चर्चा करेंगे कि क्या करना है।

अदालत में जाना

हो सकता है, आप पहले कभी किसी अदालत में न गये हों।

अधिकतर युवा गवाही देने के बारे में बेहतर महसूस करते हैं, यदि उन्हें पता हो कि वहाँ क्या होने वाला है और वे पहले से अदालत को देख आये हों।

यह वाकई बढ़िया तरीका है। आप वहाँ घूम–फिर सकते हैं, अदालत के कर्मचारियों से मिल सकते हैं और अगर चाहें, तो ओट या टेलीविजन लिंक के प्रयोग का अभ्यास भी कर सकते हैं। यदि आप किसी अन्य स्थान से गवाही देने जा रहे हैं तो अदालत के बजाय वहाँ जाने की व्यवस्था करायें।

वीआईए (VIA) आपके अदालत में जाने की व्यवस्था कर सकता है, या आप वकील से इसका अनुरोध कर सकते हैं। गवाह सेवा वहाँ आपको घुमाने की व्यवस्था करेगी और आपके प्रश्नों के उत्तर देगी।

इसके अलावा आप सीडी–रॉम पर 'वर्चुअल' अदालत को भी देख सकते हैं।

गवाही देने के लिए प्रतीक्षा करना

अदालतें व्यस्त स्थान हैं और मुकदमा शुरू करने से पहले बहुत–सी योजनायें बनाने और तैयारियाँ करने की जरूरत होती है। यदि तारीख लेने में पहले ही लंबा समय लग चुका है, तो आप अभी से ऊबने लगे होंगे। यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो प्रोक्योरेटर फिस्कल, वकील, वीआईए या गवाह सेवा के किसी व्यक्ति, या फिर यदि आपका कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो उसे बताइये।

कभी–कभी, हो सकता है कि आपको बताया जाये कि तारीख बदल दी गई है या आप गवाही देना शुरू कर चुके हैं और आपसे कहा जाता है कि किसी और दिन आकर उसे पूरा करें।

आपको अपनी गवाही के लिए बारी की भी प्रतीक्षा करती पड़ सकती है। प्रोक्योरेटर फिस्कल या वकील यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा समय प्रतीक्षा न करनी पड़े, फिर भी **अच्छा हो यदि आप समय बिताने के लिए अपने साथ कुछ लेकर आयें।** अधिकतर अदालतों में कुछ पुस्तकें या पत्रिकायें होती हैं लेकिन आप अपनी पसंद की सामग्री लेकर आयें तो बेहतर रहेगा। **कुछ अदालतों में खाने–पीने की चीजें खरीदी जा सकती हैं और इसे आप वहाँ जाने से पहले देख लें।** वरना आप अपने साथ भी कुछ ले जा सकते हैं।

आपके गवाही देने के बाद क्या होता है?

जज, प्रोक्योरेटर फिस्कल और अन्य वकीलों के सवाल पूछ लेने के बाद, जज आपको बतायेंगे कि कब आपकी गवाही खत्म हो चुकी है।

आपने एक बहुत महत्त्वपूर्ण काम पूरा कर लिया है।

शाबाश और धन्यवाद।

हो सकता है, जज और जूरी तत्काल किसी फैसले पर न पहुँच सकें क्योंकि और भी गवाह हो सकते हैं। मुकदमों में कई दिन या उससे भी अधिक समय लग सकता है।

यदि जज या जूरी को पक्का विश्वास है कि अभियुक्त ने कानून तोड़ा है, तो वे फैसला करेंगे कि वह दोषी है। सजा का फैसला जज करते हैं।

यदि जज या जूरी को पक्का विश्वास न हो कि किसी ने कानून तोड़ा है, तो वे कहेंगे कि वह दोषी नहीं है या मामला साबित नहीं हुआ है। तब जज अभियुक्त से कहेंगे कि वह जा सकता है।

कोई आपको बतायेगा कि अदालत ने क्या फैसला किया है। यदि आप परिणाम के बारे में निश्चित तौर पर नहीं जानते या उसे समझ नहीं पाते, तो आपको वीआईए या प्रोक्योरेटर फिस्कल या वकील से कहना चाहिए कि वे आपको समझायें।

फैसला कुछ भी हो, याद रखिये कि गवाह के रूप में आपका काम, मामले का बहुत महत्त्वपूर्ण हिस्सा था।

सहायता माँगना याद रखें

मुकदमा शुरू होने से पहले, जिस किसी बात के बारे में आपको संदेह है, उसे प्रोक्योरेटर फिस्कल, वीआईए, गवाह सेवा या वकील से पूछिये।

जो भी बात आपको चिंतित कर रही हो, उसके बारे में उन्हें अवश्य बताइये। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इस बारे में उनसे बात करिये।

आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको अदालत के कमरे या किसी अन्य टेलीविजन लिंक कमरे में जाने का अवसर मिले।

आपको सोचना चाहिए किः

- **आप कौन से विशेष उपाय का प्रयोग करना चाहते हैं**
- **आप अपने साथ क्या ले जायेंगे**
- **आपके साथ कौन जायेगा**
- **आपका सहायक व्यक्ति कौन बनेगा**
- **आपको अन्य किस सहायता की आवश्यकता हो सकती है**

जब आप गवाही दे रहे हों, तो जिस बात के लिए आपको सहायता की आवश्यकता हो उसे अदालत में लोगों से कहिये।

आपको अदालत में लोगों को अवश्य बताना चाहिए यदिः

- **आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं**
- **आपको टिशू या पीने के पानी की जरूरत है**
- **आप अस्वस्थ या थका हुआ महसूस कर रहे हैं**

सभी लोग आपकी भरसक मदद करने की कोशिश करेंगे।

प्रश्न?

गवाह बनने के बारे में यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो उन्हें लिख लेना अच्छा रहेगा, ताकि आप उन्हें प्रोक्योरेटर फिस्कल, वीआईए या वकील या उस व्यक्ति को दिखा सकें जो आपको अदालत घुमाने ले जायेगा।

यह कुछ बातें हैं जिनके बारे में सोचिये और उत्तर देने की कोशिश कीजियेः

प्रश्न?	उत्तर
मैं प्रोक्योरेटर फिस्कल या वकील से कहाँ मिलना चाहता हूँ?	
जब मैं प्रोक्योरेटर फिस्कल या वकील से मिलूँ, तब किसे अपने साथ रखना चाहता हूँ?	
मैं ओट या टीवी लिंक में से किसका प्रयोग करना चाहता हूँ?	
क्या मैं सहायक व्यक्ति चाहता हूँ?	
मेरा सहायक व्यक्ति कौन बन सकता है?	
मैं किन बातों के बारे में चिंतित हूँ?	
क्या मैं अदालत देखने जाना चाहता हूँ?	
मै जज को कैसे संबोधित करूँगा?	

क्या आपके कुछ प्रश्न हैं?

प्रश्न?	उत्तर

प्रोक्योरेटर फिस्कल, वीआईए या वकील आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे।

हमारी न्याय प्रणाली इसी बात पर निर्भर है कि गवाह अदालत में आयें और जो कुछ जानते हैं, उसके बारे में सच–सच बतायें।

बिना गवाहों के, अदालतें ठीक तरह से काम नहीं कर सकतीं।

याद रखें, प्रत्येक गवाह पूरे मामले का केवल एक हिस्सा है।

जब आप गवाह बनते हैं, तो आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं कि अदालत क्या करने का फैसला करती है।

गवाह बनने के लिए आपका धन्यवाद।

शब्दावली – इन शब्दों के अर्थ क्या हैं?

अदालत में, लोग बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हो सकता है, आपने पहले कभी न सुना हो। उनमें से कुछ शब्दों की सूची यहाँ दी जा रही हैः

अभियुक्तः वह व्यक्ति, जिस पर कानून तोड़ने का अभियोग लगाया गया है और मुकदमा चल रहा है।

एडवोकेट डिप्यूटः अभियोजन पक्ष का वकील जो हाईकोर्ट में पेश होता है–देखिये प्रोक्योरेटर फिस्कल

आरोपः वह, जो कोई कहता है कि घटित हुआ है

अभियोगः वह अपराध, जिसके लिए अभियुक्त पर मुकदमा चल रहा है

साइटेशनः वह सरकारी फॉर्म या पत्र, जो गवाह को बताता है कि एक निश्चित तारीख को एक निश्चित अदालत में पहुँचे।

क्लर्क (अदालत का)ः वह व्यक्ति जो अदालत के कागजात और रिकॉर्ड रखता है

अपराध करनाः कानून तोड़ना

शिकायतः किसी पर कानून तोड़ने का आरोप लगाने संबंधी बयान – यह अदालत का दस्तावेज भी हो सकता है जिसमें उस अपराध का विवरण हो, जिसके लिए अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

क्रॉस एक्जामिनेशनः जिस व्यक्ति ने गवाह को अदालत में बुलाया है उसके बाद, अन्य वकीलो द्वारा सवाल पूछे जाना – देखें एक्जामिनेशन (इन चीफ)

क्रॉउन ऑफिसः मामलों को अदालत में लाने वाला कार्यालय – देखें अभियोजन

कोर्ट केसः अदालत में एक व्यक्तिगत मुकदमा या कार्रवाई

कोर्ट ऑफिसरः [कभी–कभी मेसर (**macer**) कहा जाता है]ः वह व्यक्ति जो जज की सहायता करता है – वह प्रत्येक गवाह को अदालत में बुलाने का भी काम करता है।

कोर्ट विजिट (अदालत जाना)ः मुकदमे से पहले, गवाह का अदालत में जाना ताकि वह यह देख सके कि अदालत कैसी दिखती है और अदालत की कार्रवाई के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सके।

बचाव पक्ष का वकील या परामर्शदाताः वह वकील जो अभियुक्त का प्रतिनिधित्त्व करता है और अदालत में अभियुक्त की मदद करता है।

गवाहीः जो गवाह अदालत में कहता है – यह अदालत में लाई गई चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कि फोटो, कपड़े या चित्र, ताकि यह दिखाया जा सके कि क्या हुआ था।

एक्जामिनेशन (इन चीफ): उस वकील द्वारा की जाने वाली पूछताछ, जिसने गवाह को अदालत में बुलाया है। यह वकील गवाह से, अन्य वकीलों से पहले सवाल पूछता है – देखें क्रॉस एक्जामिनेशन।

पहचान/शिनाख्तः जब गवाह उस व्यक्ति की ओर संकेत करना है जिसके बारे में वह बात कर रहा था – कभी–कभी यह मुकदमा शुरू होने से पहले होती है और कभी अदालत में भी हो सकती है।

अभ्यारोपः हाईकोर्ट या शेरिफ और जूरी की अदालत में वह दस्तावेज–जो उस अपराध का विवरण देता है, जिसके लिए अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

जजः मुकदमें का प्रभारी और अदालत में होने वाली गतिविधियों का नियंत्रक – देखें शेरिफ

जूरीः 15 महिलाये और पुरुष (जूरर्स), जो गवाही सुनते हैं और फैसला करते हैं कि अभियुक्त दोषी है या नहीं

शपथः धर्म के नाम पर वचन देना कि गवाह, अदालत में गवाही देते समय सच बोलेंगे – गवाह बिना शपथ लिए भी सच बोलने का वचन दे सकता है – इसके बारे में आप पूछताछ कर सकते हैं।

प्ली/निवेदनः मुकदमें के आरंभ में अभियुक्त, यह पूछे जाने पर कि वह दोषी है या निर्दोष, जो उत्तर देता है

प्री–कॉग्निशनः प्रोक्योरेटर फिस्कल या बचाव पक्ष के वकील द्वारा गवाह का इंटरव्यू, जिससे उन्हें मामला तैयार करने में मदद मिलती है।

प्रोक्योरेटर फिस्कलः वह वकील जो अभियोजन पक्ष की ओर से काम करता है – देखें क्राउन ऑफिस। यही फैसला करता है कि मामला अदालत में जायेगा, या नहीं।

प्रोसिक्यूशन/अभियोजन पक्षः किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना और मामले को अदालत में ले जाना – देखें प्रोक्योरेटर फिस्कल तथा क्राउन ऑफिस

प्रोडक्शन्सः सबूत के तौर पर अदालत में दिखाई जाने वाली वस्तुएँ – जैसे कि पत्र या कपड़े

सजाः जज का फैसला, जब अभियुक्त कानून तोड़ने का दोषी पाया जाये – यह अभियुक्त को दिया जाने वाला दंड भी हो सकता है।

शेरिफः शेरिफ की अदालत में जज की उपाधि

शब्दावली – इन शब्दों के अर्थ क्या हैं?

सामाजिक कार्यकर्ता: वह व्यक्ति जो बच्चों और वयस्कों के साथ उस स्थिति में काम करता है जब उन्हें अतिरिक्त सहायता या निगरानी की जरूरत हो।

विशेष उपाय: किसी बाल गवाह या कमजोर वयस्क को गवाही देने में मदद के विभिन्न तरीके – जैसे कि टेलीविजन लिंक या ओट – देखें सहायक व्यक्ति

बयान: पुलिस द्वारा गवाह के बोलने की रिकॉर्डिंग या लिखे हुए नोट्स

सहायक व्यक्ति: वह व्यक्ति जो गवाह के अदालत में आने के समय उसके साथ रह सकता है – देखें विशेष उपाय

मुकदमा: अदालत में कानूनी कार्रवाई जब गवाह अपनी गवाही देते हैं

फैसला: मुकदमे के अंत में सुनाया जाने वाला परिणाम

वीआईए (VIA): **Victim Information and Advice** का मतलब है पीड़ित सूचना एवं परामर्श – वीआईए के कर्मचारी, प्रोक्योरेटर फिस्कल के साथ काम करते हैं – वे पीड़ितों और गवाहों को मामले के बारे में जानकारी देते हैं।

गवाह: वह व्यक्ति जिसके पास किसी विषय में जानकारी है और जो उसके बारे में अदालत को बता सकता है।

गवाह सेवा: अदालत में मौजूद लोग, जो सभी गवाहों को समर्थन और सलाह उपलब्ध कराते हैं।

आपके नोट्स

आपके नोट्स

इस दस्तावेज की अन्य प्रतियाँ ऑडियो, बड़े अक्षरों और सामुदायिक भाषाओं में, अनुरोध करने पर उपलब्ध हैं। कृपया संपर्क करें – 0131 244 2213।

© क्राउन कॉपीराइट 2005

यह दस्तावेज़ स्कॉटिश प्रशासन की वेबसाइटः www.scotland.gov.uk पर भी उपलब्ध है।

Astron B41391 06/05 (Hindi)

अन्य प्रतियाँ उपलब्ध हैं–
Blackwell's Bookshop
53 South Bridge
Edinburgh
EH1 1YS

फोन द्वारा ऑर्डर और पूछताछ
0131 622 8283 अथवा 0131 622 8258

फैक्स द्वारा ऑर्डर
0131 557 8149

ई–मेल द्वारा ऑर्डर
business.edinburgh@blackwell.co.uk

यह दस्तावेज़, मूल की हूबहू प्रतिकृति समझा जा सकता है

w w w . s c o t l a n d . g o v . u k